



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 227]
No. 227]

नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अप्रैल 3, 1997/चैत्र 13, 1919
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 1997/CHAITRA 13, 1919

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1997

का. आ. 298 (अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त धारा की उपधारा (2ख) के अधीन गठित सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निदेश करती है कि भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 477 (अ), तारीख 25 जुलाई, 1991 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची 3 में, लघु उद्योग क्षेत्र में ही निर्मित किए जाने के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची शीर्षक के अधीन निम्नलिखित मदों और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात् :—

क्रम सं.	(राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार) उत्पाद कोड	उत्पाद का नाम
1	2	3
1.	201801	आइसक्रीम
4.	202901	सिरका
5.	204200	चावल कटाई
6.	204300	दाल तैयार करना (दालों की दलाई)
8.	20530101	बिस्कुट
15.	21620101	मुर्गीदाना (गोलाकार को छोड़कर)
16ग.	224302	सिंथेटिक सिरप
54	280906	नालीदार कागज और गत्ते
571	363708	हेयर ड्रायर—सभी प्रकार के

1	2	3
629	374717	हब कैप-आटो
635	374737	मोटर गाड़ी की सजावटी फिटिंग
644	37478101	स्पॉट लैम्प असेम्बली-आटो
645	37478201	स्टॉप लैम्प असेम्बली-आटो
646	3747870	टेल लैम्प असेम्बली-आटो
647	3747804	एश ट्रे - कार फिटिंग'

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 10(10)/97-आई. पी.]

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 1997

S. O. 298 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) and after considering the recommendations made by the Advisory Committee constituted under sub-section (2B) of the said section, the Central Government hereby direct that the following amendments shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development No. S.O.477(E), dated the 25th July, 1991, namely :—

In the said notification, in Schedule-III under the heading—LIST OF ITEMS RESERVED FOR EXCLUSIVE MANUFACTURE IN SMALL SCLAE SECTOR, the following items and the entries relating thereto shall be omitted, namely :—

Sl. No. (As per gazette Notification)	Product Code	Name of the product
1	2	3
“1	201801	Ice Cream
4	202901	Vinegar
5	204200	Rice Milling
6	204300	Dal Milling
8	20530101	Biscuits
15	21620101	Poultry feed except in pellet form
16C	224302	Synthetic syrups
54	280906	Corrugated paper & boards
571	363708	Hair driers—all types
629	374717	Hub caps—auto
635	374737	Ornamental fittings—auto
644	37478101	Spot lamps assembly—auto
645	37478201	Stop lamps assembly—auto
646	3747870	Tail lamp assembly—auto
647	3747804	Ash trays—Car fittings”

Excluding combination
lamp assembly

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.